SIV No. /2021 (15)

उत्तर मध्य रेलवे

कार्यालय
महाप्रबंधक/सतर्कता
सूबेदारगंज, प्रयागराज

पत्र सं.–20201200246/PC/V4/N/HQ दिनांक–05.04.2021

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी,
प्रधान वित्त सलाहकार,
उत्तर मध्य रेलवे,
प्रयागराज।

विषयः–सेवानिवृत्त रेलकर्मियों को Arrear GIS (Revised GIS Table के अनुसार) के भुगतान संबंधी ''प्रणाली सुधार'' हेतु।

सतर्कता द्वारा उत्तर मध्य रेलवे के एक युनिट में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर किये जा रहे GIS भुगतान के संबंध में निवारक जॉच की गयी। जॉच में पाया गया कि वर्तमान में GIS भुगतान हेतु 'लाभों की सारणी'(Table of Benefits) वित्त मंत्रालय द्वारा त्रैमासिक जारी की जा रही है। प्रायः यह देखने में आया है कि उक्त Table of Benefits के विलंब से प्राप्त होने के कारण कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर GIS धनराशि का भुगतान पूर्व में जारी सारणी के अनुसार कर दिया जाता है। नई सारणी प्राप्त होने पर पूर्व में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एरियर भुगतान नहीं दिया जा रहा है। यह एक परिवाद का विषय भी बन सकता है। अतः इस संबंध में निम्नलिखित 'प्रणाली सुधार' प्रस्तावित किया जा रहा हैः

1. जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर GIS भुगतान नई सारणी ना प्राप्त होने के कारण पुरानी सारणी से किया गया है, उनकी एक लिस्ट समापन अनुभाग द्वारा नियमित अंतराल (मासिक/त्रैमासिक) पर तैयार कर ली जाए।
2. नई सारणी के प्राप्त होने पर उक्त लिस्ट में शामिल कर्मचारियों का एरियर I-PAS के माध्यम से त्रैमासिक रुप से लेखा विभाग(पेंशन अनुभाग) को पास करने हेतु भेज दिया जाए।
3. लेखा विभाग द्वारा उक्त बिलों को पास करने के बाद उक्त लिस्ट की एक प्रति टिप्पणी के साथ समापन अनुभाग को रिकार्ड हेतु भेज दी जाए।

जॉच में यह भी पाया गया कि उक्त विषय पर विभिन्न इकाइयों से संबंधित स्टाफ को पर्याप्त जानकारी नहीं है। अतः उक्त 'प्रणाली सुधार' के साथ–साथ विभिन्न इकाइयों के संबंधित स्टाफ को उक्त विषय की जानकारी देने की अनुशंसा भी की जा रही है।

आपसे निवेदन है कि कृपया उपरोक्त प्रस्तावित सुझावों पर अपनी टिप्पणी, यदि हो, तो भेजें, जिससे उस पर विचार करते हुए इस SIV का अंतिम संस्करण जारी किया जा सके।

05/04/21
(अंकुर चन्द्रा)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/ भं.
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

VKSingh
05/04/2021

Scanned with CamScanner